न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 41/2018 जिला दौसा

ज्याना देवी पत्नि मांगी लाल, जाति मीना, निवासी ग्रम भांवता, तहसील रामगढ पचवारा, जिला दौसा ।

अपीलान्ट

बनाम

1. ग्राम पंचायत बनियाना, तहसील लवाण जिला दौसा जरिये सरपंच ग्रम पंचायत बनियाना, तहसील लवाण, जिला दौसा ।
2. प्रभाती लाल पुत्र नानगराम
3. गल्लू पुत्र नानगराम
4. कालूराम पुत्र नानगराम
5. नन्दलाल पुत्र नानगराम
6. समस्त जाति मीना, निवासी ग्रम मटवास, तहसील लवाण, जिला दौसा ।
7. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील लवाण, जिला दौसा ।

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा उप खण्ड अधिकारी दौसा दिनांक 25.4.2017

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री अशोक कुमार जोशी
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री रामस्वरूप बैरवा

निर्णय

दिनांक 16.4.2019

चित्रा अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

यह द्वितीय अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी दौसा के निर्णय दिनांक 25.4.2017 के खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के सथ दिनांक 19.6.2018 को प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि ग्रम मटवास, तहसील लवाण, जिला दौसा स्थित आराजी खसरा नम्बर 85 रकबा 0.22 एवं खसरा नम्बर 86 रकबा 0.34 कुल किता 2 कुल रकबा 0.56 हैक्टेब्यर का खातेदार कालू पुत्र काना कौम मीना था, जिसके द्वारा भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 13.8.2014 द्वारा अपीलान्ट श्रीमति ज्याना देवी पत्नि मांगी लाल मीना को विक्रय किये जाने पर पटवारी हल्का द्वारा विक्रय पत्र के आधार पर क्रेता ज्याना देवी के नाम नामांतरकरण संख्या 203 भरा गया जिसे ग्रम पंचायत बनियाना ने ग्रम पंचायत की बैंठक दिनांक 5.12.2014 में प्रभाती लाल,

Scanned by CamScanner

गुल्लु, कालूराम, नन्दलाल पि. नांनगराम निवासी मटवास द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना जिसमें उक्त भूमि पर लम्बे समय से काबिज रहने, पक्की पाटोल बनी हाने एवं कई वर्षो से खेती करने को दृष्टिगत रखते हुये बेचान नामा गलत किये जाने से नामांतरकरण खारिज करने का निर्णय लिया जाकर नामांतरकरण खारिज किया गया ।

उक्त नामांतरकरण सख्या 293 दिनांक 5.12.2014 से व्यथित होकर अपीलार्थी ज्याना देवी ने अपील न्यायालय उप खण्ड अधिकारी दौसा को की , जो अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25.4.2017 द्वारा पक्षकारान के मध्य इसी भूमि को लेकर अन्य न्यायालय में प्रकरण लम्बित होने से पक्षकारो के अधिकार वाद में तय होना एवं नामांतरकरण की कार्यवाही फिसकल प्रोसीडिंग में पक्षकारों के अधिकार तय नहीं होना मानते हुये अपील खारिज की है ।

उप खण्ड अधिकारी दौसा के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी ज्याना देवी द्वारा यह द्वितीय अपील मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी दौसा दिनांक 25.4.2017 एवं ग्राम पंचायत बनियाना, तहसील लवाण के प्रस्ताव संख्या 5 व नामांतरकरण संख्या 293 दिनांक 25.12.2014 निरस्त करते हुये अपीलान्ट के हक में विकय पत्र के आधार पर नामांतरकरण तस्दीक करने के आदेश प्रदान करने की प्रार्थना की ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवकताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि ग्राम मटवास, तहसील लवाण, जिला दौसा स्थित आराजी खसरा नम्बर 85 रकबा 0.22 एवं खसरा नम्बर 86 रकबा 0.34 कुल किता 2 कुल रकबा 0.56 हैक्टेयर का रिकार्डेड खातेदार कालू पुत्र काना कौम मीना से भूमि अपीलान्ट ने जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 13.8.2014 द्वारा कय कर कब्जा प्राप्त कर लिया था । अपीलार्थी विवादित भूमि की विधिवत केता होने से रजिस्टर्ड विकय पत्र के आधार पर अपने नाम नामांतरकरण खुलवाने की विधिक अधिकारिणी है । उनका कहना था कि ग्राम पंचायत या राजस्व अधिकारी को रजिस्टर्ड विकय पत्र की विधिसम्यकता का परीक्षण करने का अधिकार नहीं है । रेस्पोंडेन्ट्स को यदि रजिस्टर्ड विकय पत्र से कोई आपत्ति है तो वे विकय पत्र को निरस्त कराने के लिये सक्षम न्यायालय में दावा कर सकते हैं । विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि जब तक रजिस्टर्ड विकय पत्र सक्षम न्यायालय से निरस्त

Scanned by CamScanner

नहीं हो जाता तब तक उसके आधार पर नामांतरकरण तस्दीक करने अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं रहता । उनका कहना था कि ग्राम पंचायत द्वारा अपीलान्ट को बिना नोटिस दिये व बिना सुने नामांतरकरण संख्या 293 को खारिज करने का निर्णय लेने में विधिक त्रुटि की है । किसी भी हितबद्ध व प्रभावित व्यक्ति को बिना सुने उसके अधिकारों के विपरीत पारित आदेश को न्यायसंगत नहीं ठहराया जा सकता । उनका कहना था कि विकेता द्वारा विवादित भूमि का कब्जा केता अपीलान्ट को सम्भला दिया था तथा विक्रय पत्र में भी कब्जा संभलवाना अंकित किया था । उनका कहना था कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के जवाब को अनदेखा करते हुये केवल अन्य न्यायालयों में प्रकरण लम्बित होने का आधार लेते हुये अपीलान्ट की अपील अपीलाधीन आदेश से खारिज करने में विधिक त्रुटि की है । उनका कहना था कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 सी.पी.सी. के प्रोवीजन केवल मात्र वाद पर ही लागू होते हैं अपील पर उक्त तथ्य लागू नहीं होते तथा यदि धारा 10 सी.पी.सी. को माना भी जाता तो अपील की कार्यवाही स्थगित की जा सकती थी, किन्तु योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रारम्भिक आपत्ति पर निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश व प्रश्नगत नामांतरकरण निरस्त किये जाकर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर अपीलार्थी केता के नाम नामांतरकरण तस्दीक करने की आज्ञा प्रदान की जावे ।

रेस्पोंडेन्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि के संबंध दावा अधिघोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा न्यायालय सहायक कलक्टर दौसा के समक्ष उनवानी गल्लुराम बनाम कालू राम विचाराधीन है एवं न्यायालय जिला कलक्टर दौसा के समक्ष गल्लुराम बनाम कालू उनवानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 वास्ते निरस्त करने आवंटन खसरा नम्बर 19 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा , खसरा नम्बर 26 रकबा 9 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम मटवास दिनांक 7.6.61 विचाराधीन है । उनका कहना था कि पक्षकारों के मध्य विवादित भूमि के हक हकूकों के लिये वाद विचाराधीन है जिसमें उनके हक हकूक तय होने हैं । नामांतरकरण की कार्यवाही एक फिसकल प्रोसीडिंग है । विवादित भूमि पर रेस्पोंडेन्ट्स का कब्जा काश्त होने से ग्राम पंचायत ने पंचायत कौरम में प्रस्ताव पारित कर केता अपीलान्ट के नाम पटवारी हल्का द्वारा भरे गये प्रश्नगत नामांतरकरण को खारिज किया है तथा अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी दौसा ने उक्त नामांतरकरण सख्या 293 दिनांक 5.12.2014 की अपील अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25.4.2017 द्वारा पक्षकारान के मध्य इसी भूमि को लेकर अन्य न्यायालय में प्रकरण लम्बित होने से पक्षकारों के अधिकार वाद में तय होना एवं नामांतरकरण की कार्यवाही फिसकल प्रोसीडिंग में पक्षकारों के अधिकार

प्रतिलिपि संभागीय आयुक्त जयपुर

Scanned by CamScanner

तय नहीं होना मानते हुये अपील खारिज की है । ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उचित एवं विधिसम्यक है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । सर्वप्रथम मियाद अधिनिय की धारा 5 के प्रार्थना पत्र एवं अपील के गुणावगुण को दृष्टिगत रखते हुये एवं इसके विरोध में रेस्पोंडेन्ट द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने से मियाद के संबंध में लचिला रूख अपनाते हुये प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया जाता है । प्रकरण में विवादित भूमि रिकार्डेड खातेदार कालूराम से अपीलान्ट ज्याना देवी ने जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र खरीदने पर केता ज्याना देवी के नाम पटवारी हल्का द्वारा भरे गये नामांतरकरण संख्या 293 को ग्रम पंचायत बनियाना ने ग्रम पंचायत की बैठक दिनांक 5.12.2014 में प्रभाती लाल, गुल्लु, कालूराम, नन्दलाल पि. नांनगराम निवासी मटवास द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना जिसमें उक्त भूमि पर लम्बे समय से काबिज रहने, पक्की पाटोल बनी होने एवं कई वर्षो से खेती करने को दृष्टिगत रखते हुये बेचाननामा गलत किये जाने से नामांतरकरण खारिज करने का निर्णय लिया जाकर नामांतरकरण खारिज किया गया जिसकें विरूद्ध अपीलार्थी ज्याना देवी की अपील उप खण्ड अधिकारी दौसा ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25.4.2017 द्वारा पक्षकारान के मध्य इसी भूमि को लेकर अन्य न्यायालय में प्रकरण लम्बित होने से पक्षकारों के अधिकार वाद में तय होना एवं नामांतरकरण की कार्यवाही फिसकल प्रोसीडिंग में पक्षकारों के अधिकार तय नहीं होना मानते हुये अपील खारिज की है ।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि अपीलार्थी ज्याना देवी रजिस्टर्ड विकय पत्र से विवादित भूमि की विधिवत केता है और हितबद्ध व प्रभावित व्यक्ति है जिसके नाम पटवारी हल्का द्वारा भरे गये प्रश्नगत नामांतरकण संख्या 293 को ग्रम पंचायत बनियाना द्वारा दिनांक 5.12.2014 को विवादित भूमि पर अन्य लोगों का कब्जा होने के आधार पर अपीलान्ट को बिना सुने खारिज किया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के परिपेक्ष्य में उचित एवं विधिक नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधीकारी दौसा ने भी प्रश्नगत नामांतरकरण के खिलाफ अपीलान्ट की अपील रेस्पोंडेन्ट द्वारा की गई प्राम्भिक आपत्ति के आधार पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.4.2017 से खारिज करने में विधिक त्रुटि की है । हम समझते हैं कि अपीलाधीन आदेश व प्रश्नगत नामांतरकरण विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है एवं अपीलान्ट विवादित भूमि की रजिस्टर्ड विकय पत्र से केता होने से हितबद्ध एवं प्रभावित व्यक्ति है जिसे प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के परिपेक्ष्य में सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाकर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में नामांतरकरण के संबंध में निर्णय किये जाने हेतु प्रकरण तहसीलदार लवाण, जिला दौसा को प्रतिप्रेषित किये जाने का मौहताज है । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी दौसा दिनांक 25.4.2017 एवं प्रश्नगत नामांतरकरण

Scanned by CamScanner

संख्या 293 दिनांक 5.12.2014 निरस्त किये जाकर उभयपक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु तहसीलदार लवाण, जिला दौसा को प्रतिप्रेषित किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड, निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा
अतिरिक्त (संभागीय आयुक्त)
अति. सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner